ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/121/2004/अजमेर प्रेमचंद बनाम भोपालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री हरीशंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री माधवराज, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांक 25–11–19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–12–2003 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने विवादित आराजी बाबत् एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विवादित आराजी बाबत् पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी गण सं0 1 से 9 ने जवाब पेश कर दावे के कथनों से इन्कार किया तथा दावा खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2000 द्वारा अपीलार्थी/वादी का दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11–12–2003

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/121/2004/अजमेर प्रेमचंद बनाम भोपालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी/वादी द्वारा वाद इस आधार पर पेश किया गया है कि उसने प्रतिवादीगण से विवादित भूमि दिनांक 12-01-78 को पंजीकृत दस्तावेज से क्रय की है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने समवर्ती निष्कर्षो में यह माना है कि भूमि बेचान के समय सहकारी भूमि विकास बैंक के पास रहन थी, ऐसी स्थिति में इसका बेचान ही नहीं हो सकता था। द्वितीय इस भूमि का कब्जा अपीलार्थी/वादी के पास नहीं रहा, इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि अपीलार्थी/ वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत भी पेश किया है जो कब्जा प्राप्त करने के लिए ही बनी है। हमारी सुविचारित राय में जब अपीलार्थी/वादी के पास भूमि का कब्जा ही नहीं रहा तो वह धारा 88 के अन्तर्गत खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी नही रहता। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1978 के कथित क्रय के आधार पर अपीलार्थी/वादी द्वारा भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित है, जिनमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। द्वितीय अपील का क्षैत्र सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/121/2004/अजमेर प्रेमचंद बनाम भोपालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समवर्ती निष्कर्षो में उस समय तक हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नहीं है जब तक यह निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत न हो। इस प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति अथवा साक्ष्य प्रकट नहीं होती, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो को अभिलेख के विपरीत माना जा सके। अतः द्वितीय अपील को खारिज किया जाना हम उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हरीशंकर गोयल) (शिखर अग्रवाल) सदस्य सदस्य	